

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/2018 RPSC पदस्था./जीव विज्ञान/2021/01 दिनांक: 05.08.2021 के द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों का आरपीएससी 2018 में व्याख्याता-जीव विज्ञान के पद पर चयन उपरान्त इनका पदस्थापन किया गया तथा दिनांक 10.09.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य था। किन्तु अपने व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण निम्न अभ्यर्थी अपने पदस्थापन विद्यालय में कार्यग्रहण नहीं कर सके। इनको कॉलम सं. 05 में अंकित तिथि तक कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	कार्मिक का नाम मय पदस्थापन स्थान	आदेश क्र.स.	विषय	कार्यग्रहण अभिवृद्धि दिनांक
01	YOGENDRA SINGH, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GIRI (214120), RAIPUR (08200208603) (JAITARAN), PALI	46	जीव विज्ञान	27.09.2021

उक्त अभ्यर्थी को कार्यग्रहण अभिवृद्धि की अनुमति प्रदान कर आदेशित किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/2018 RPSC पदस्था./जीव विज्ञान/2021/ प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिकों को निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय को सूचित करें।
7. संबंधित कार्मिक।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर